भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2758

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवैध तंबाकू उत्पाद

2758 श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय बाजारों में अवैध तंबाकू उत्पाद उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय बाजारों में उपलब्ध उक्त अवैध उत्पादों की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया हैं/शुरुआत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अध्ययन के निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने भारतीय बाजार में अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (च): भारत सरकार तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) की पक्षकार है और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन एफसीटीसी के (अनुच्छेद 15) के अंतर्गत अपनाए गए तम्बाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की है। प्रोटोकॉल के

अनुसार, तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को सरकारों द्वारा उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से सुरक्षित करने की आवश्यकता है जैसे ट्रैक और ट्रेस तंत्र, लाइसेंसिंग, रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं, इंटरनेट-बिक्री का विनियमन, शुल्क-मुक्त बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय पारगमन।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआईसी के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीमा पार तस्करी और घरेलू कर अपवंचन के कारण अवैध सिगरेट जब्त की जाती है। भारत में तस्करी रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार, आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 2021-22 में 93 करोड़ रुपये से अधिक की तस्करी की सिगरेट और तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। सीबीआईसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) के क्षेत्रीय कार्यालय अवैध तंबाकू उत्पादों के आयात/आपूर्ति पर निरंतर निगरानी रखते हैं और मामलों का पता चलने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और कानून के अन्य मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

****